वाद संख्या- 70/2023 द० प्र० सं० 144 धारा

मुन्नी देवी ———————— प्रथम पक्ष

बनाम्

सुखदेव मंडल वगैरह ———————— द्वितीय पक्ष

की क्र0 सं0 र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
7/23	आदेश यह वाद आवेदिका मुन्नी देवी पति दिलीप दास साकिन – मंदरामों, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भं किया गया। प्रथम पक्ष के मुन्नी देवी पति दिलीप दास बनाम द्वितीय पक्ष सुखदेव मंडल वगैरह को प्रश्नगत भुमि पर धारा – 144 दं0प्र0सं0 कि प्रक्रिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भुमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भुमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग गई। प्रश्नगत भुमि का विवरण निम्न प्रकार है। मौजा – मंदरामों, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 – 145, प्लॉट नं0 – 386 रकबा – 27 डी0 मध्ये 04 डी0 चौहदी उ0 – रास्ता, दं0 – रास्ता, पू0 – रास्ता, पं0 – टेकवा चमार, प्लॉट नं0 – 387 रकबा – 28 डी0 मध्ये 4 डी0 चौहदी उ0 + दं0 – रास्ता, पु0 – टांड धनवा चमार, पं0 – मंगरा चमार वगैरह, प्लॉट नं0 – 1238 रकबा – 28 डी0 मध्ये 26 डी0 चौहदी उ0 – टेढा धोबी, दं0 – खागो सुण्डी, पू0 – मंगरा चमार; पं0 – रास्ता। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों थाना प्रभारी सरिया के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन करने वो उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट होता है कि यह मामला भुमि के हक हकियत से संबंधित है। चुकि वाद कि कार्यवाही धारा – 144 दं0प्र0सं0 के तहत शाति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ किया गया है। जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों कि होती है। अतः काल बाधित होने के कारण वाद कि कार्यवाई समाप्त कि जाती है। लेखापित। अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.08.24 12:52:19 +05:30
Location: 192.168.1.12